मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः08.06.2026

थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा ₹ 25 हजार का ईनामिया शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना चुनार पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांक 08.06.2026 को थाना चुनार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-04/2026 धारा 61(2) बीएनएस व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित ₹ 25 हजार के ईनामियां वांछित अभियुक्त दिलीप कुमार उर्फ सुभाष उर्फ अब्बास पुत्र रक्सू राम निवासी उमापुर सरैया थाना भगवानपुर जनपद कैमुर बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चुनार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 255/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

दिलीप कुमार उर्फ सुभाष उर्फ अब्बास पुत्र रक्सू राम निवासी उमापुर सरैया थाना भगवानपुर जनपद कैमुर बिहार, उम्र करीब 29 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0- 255/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-04/2026 धारा 61(2) बीएनएस व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

उप निरीक्षक कुमार संतोष चौकी प्रभारी अदलपुर मय पुलिस टीम थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

****